पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बुलाकर अपने निर्णय से अवगत कराया
राज्यपाल ने विधान परिषद हेतु 4 सदस्यों के नाम पर अपनी सहमति प्रदान की
शेष नामों पर मुख्यमंत्री से आख्या मांगी

लखनऊः 2 जुलाई, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 9 रिक्त स्थानों पर नये सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु राज्य सरकार द्वारा अग्रसारित की गयी 9 व्यक्तियों की सूची में से श्री श्रीराम सिंह यादव, श्रीमती लीलावती कुशवाहा, श्री रामवृक्ष सिंह यादव तथा श्री जितेन्द्र यादव के नाम पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को राजभवन बुलाकर अपने निर्णय से अवगत करा दिया है।

श्री नाईक ने शेष 5 नामों, डॉ0 कमलेश कुमार पाठक, श्री संजय सेठ, श्री रणविजय सिंह, श्री अब्दुल सरफराज खां तथा डॉ0 राजपाल कश्यप द्वारा दिये गये शपथ पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत जानकारी चाही है। राज्यपाल ने उपरोक्त 5 लोगों के बारे में प्राप्त शिकायती प्रत्यावेदनों को मुख्यमंत्री को भेजते हुए कहा है कि आरोपों की सत्यता / असत्यता की जांच करवाकर आख्या उपलब्ध करायी जाए जिससे उनके नाम निर्देशन पर सम्यक् विचार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को उक्त 5 व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न शिकायतकर्ताओं/संगठनों से मिले शिकायती पत्रों के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुयी थी जो उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र में उल्लेखित नहीं थी।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 171(5) में उल्लिखित कुल पांच क्षेत्रों (1) साहित्य, (2) विज्ञान, (3) कला, (4) सहकारिता आन्दोलन, तथा (5) समाज-सेवा में से सहकारिता आन्दोलन एवं समाज-सेवा जैसे 2 क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष 3 क्षेत्रों (1) साहित्य, (2) विज्ञान एवं (3) कला में भी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले महानुभावों के नामों की संस्तुति किये जाने की दृष्टि से भारत का संविधान के अनुच्छेद 171(ई) सपठित अनुच्छेद 171(5) का शब्दशः व उसकी भावना (लैटर एण्ड स्पिरिट) का ध्यान रखा जाए।